पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विनोद कुमार सिन्हा

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7276)

13 अक्टूबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता को इस आधार पर प्रथम समयबद्ध पदोन्नति का लाभ देने से सही तरीके से मना कर दिया गया कि उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है?

हेडनोट्स

सेवा कानून – विभागीय परीक्षा बनाम समयबद्ध पदोन्नति – कर्मचारी से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली – आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए रिट याचिका जिसमें यह माना गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिए वह प्रथम समयबद्ध पदोन्नति का हकदार नहीं होगा और तदनुसार, 99,150/- रुपये की राशि वसूलने की मांग की गई है।

निर्णय: विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करना समयबद्ध पदोन्नति/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने में बाधा नहीं होगी – ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करना, जो विशुद्ध रूप से और केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने की प्रकृति का है, किसी उच्चतर पद पर वास्तव में कोई पदोन्नति किए बिना, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता न रखने के कारण रोका नहीं जा सकता – -सेवानिवृत्ति के बाद, किसी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकती, यदि उसकी ओर से कोई गलत बयानी नहीं की गई है, जो कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का

मामला है – विवादित आदेश निरस्त किया गया – प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता से की गई वसूली की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया – रिट स्वीकृत। (पैरा-4, 5)

न्याय दृष्टान्त

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राम सुभग सिंह, **एलपीए संख्या 4/2021;** बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अंजनी कुमार, **2013 (2) पीएलजेआर 643;** अमरेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2023 (2) पीएलजेआर (एससी) 423;** पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह एवं अन्य, **(2015) 4 एससीसी 334** – **संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून – विभागीय परीक्षा – समयबद्ध पदोन्नति – कर्मचारी से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली – कर्मचारी की ओर से गलत बयानी।

प्रकरण से उत्पन्न

सचिव, आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा जारी दिनांक 14.7.2014 का पत्र, तथा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 10.4.2013 का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री उपेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता; श्री वीणा कुमारी जैसवाल, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री स्वप्निल कुमार सिंह, जी.पी.-19 के ए.सी

रिपोर्टर द्वारा हेडनॉट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7276

==========

विनोद कुमार सिन्हा, पिता- स्वर्गीय परमेश्वर दयाल, निवासी- ग्राम- मानपुर, पोस्ट ऑफिस- परोहा, थाना- मानपुर, जिला- नालंदा, आयुक्त, भागलपुर के कार्यालय में सेवानिवृत्त सहायक, वर्तमान में निवासी- शिवानंदन प्रसाद के घर, में किराये का फ्लैट संख्या 512, कंकड़बाग, पटना 800020, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना द्वारा बिहार राज्य
2. मुख्य सचिव, बिहार राज्य, पटना
3. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. आयुक्त, भागलपुर प्रभाग, भागलपुर
5. सचिव, सूचना और जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार, पटना
7. निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री उपेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता,

श्री वीणा कुमारी जैसवाल, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री स्वप्निल कुमार सिंह, जी.पी.-19 के ए.सी

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 13-10-2023

वर्तमान रिट याचिका आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के सचिव द्वारा जारी दिनांक 14.7.2014 के पत्र तथा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 10.4.2013 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा यह माना गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिए वह प्रथम समयबद्ध पदोन्नति का हकदार नहीं होगा और तदनुसार, 99,150/- रुपये की राशि वसूलने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2007 और 2008 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने समय पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिए उसे गलत तरीके से पहली समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया था, इसलिए उसे वापस ले लिया गया है।

4. इस न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन मुद्दे के संबंध में कानून अब एकीकृत नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राम सुभग सिंह (एलपीए संख्या 4/2021) के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने दिनांक 11.5.2022 के निर्णय द्वारा यह माना है कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करना समयबद्ध पदोन्नति/एसीपी/एमएसीपी के लाभ प्रदान करने में बाधा नहीं होगी। वास्तव में, मामले के इस पहलू का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अंजनी कुमार**, 2013 (2) पीएलजेआर 643 के मामले में दिए

गए निर्णय द्वारा भी किया जा चुका है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 19182 में पारित दिनांक 10.3.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अमरेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय में, 2023 (2) पीएलजेआर (एससी) 423 में रिपोर्ट किया गया, यह माना गया है कि एसीपी का लाभ प्रदान करना, जो विशुद्ध रूप से और केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने की प्रकृति में है, वास्तव में किसी भी उच्च पद पर किसी भी पदोन्नति को प्रभावित किए बिना, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता न रखने के कारण रोका नहीं जा सकता है। वास्तव में, **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह एवं अन्य**, (2015) 4 एससीसी 334 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सेवानिवृत्ति के बाद, किसी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, यदि उसकी ओर से कोई गलत बयानी नहीं की गई है, जो कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का मामला है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऊपर उल्लिखित कारणों से, इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 14.7.2014 और दिनांक 10.4.2013 के आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा निर्धारित विधि के प्रतिकूल और विपरीत हैं, अतः इसे दरकिनार किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि आज से चार सप्ताह के भीतर वापस करें।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमुर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।